न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 331/2022

वादी–

रामनिवास पुत्र श्री भंवराराम, हाल सरपंच ग्राम पंचायत पादूखुर्द,
तहसील रियांबडी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1– जसवंतसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह के कायम मुकाम :–
1/1 तेजसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह,
1/2 रामसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह,
2– हीरसिंह पुत्र श्री मंगासिंह के कायम मुकाम :–
2/1 गोपालसिंह पुत्र श्री हीरसिंह,
2/2 नरपतसिंह पुत्र श्री हीरसिंह,
जातियान राजपूत, निवासीगण पादुखुर्द,
तहसील रियांबडी, जिला नागौर
3– कंवरीलाल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति कलाल(टाक)
4– धर्मसिंह पुत्र श्री भंवरलाल, जाति कलाल(टाक)
5– रामसिंह पुत्र श्री भंवरलाल, जाति कलाल(टाक)
6– पूजा पत्नी श्री प्रेमसिंह, जाति कलाल(टाक)
7– सुरज्या पुत्री श्री सुखाराम, जाति बावरी
8– खेमाराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट
9– गेन्दादेवी पुत्री श्री पूनाराम, जाति जाट
10– भबूतराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट
11– पूनाराम पुत्र श्री जस्साराम के कायम मुकाम :–
11/1 रूपाराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट
11/2 मिरादेवी पुत्री श्री पूनाराम, जाति जाट
11/3 सुपादेवी पुत्री श्री पूनाराम, जाति जाट
11/4 भूरीदेवी पुत्री श्री पूनाराम, जाति जाट
11/5 दल्लाराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट
12– रूपाराम पुत्र श्री छोगाराम, जाति जाट
13– राजूराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट
14– सुवाराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट
15– हरसुखराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट
16– होलाराम पुत्र श्री बनाराम, जाति कुम्हार के कायम मुकाम :–
16/1 तिलोकराम पुत्र श्री होलाराम, जाति कुम्हार
16/2 सुखाराम पुत्र श्री होलाराम, जाति कुम्हार
निवासीगण पादूखुर्द, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
17– पादूखुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पादूखुर्द
18– तहसीलदार, रियांबड़ी
19– पटवारी हल्का, पादूखुर्द
20– भंवरीदेवी पत्नी श्री पाबूराम जाति जाट निवासी पादुखुर्द,

दावा बाबत बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी
अंतर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमानजी वाद के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है–

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर

1. यह है कि मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 694 रकबा 1.1900 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी का खसरा नम्बर 700 रकबा 0.24 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 की संयुक्त खातेदारी का खसरा नम्बर 706 रकबा 1.86 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 16 की संयुक्त खातेदारी का खसरा नम्बर 237 रकबा 0.57 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 17 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा अराजी के नाम से सम्बोधित की गई है।

2. यह है कि वादग्रस्त भूमी का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा हो चंका है मौके पर अलग–अलग काबिज है जिसका नजरी नक्शा परिशिष्ठ क पेश है जो दावा का भाग है बंटवाड़ा निमन प्रकार है :–

वादी ग्राम पंचायत पादूखुर्द की भूमि :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 694 रकबा 1.1900 हैक्टेयर में से रकबा 1.09 हैक्टेयर

खसरा नम्बर 700 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से रकबा 0.20 हैक्टेयर,

खसरा नम्बर 706 रकबा 1.86 हैक्टेयर में से 1.66 हैक्टेयर,

खसरा नम्बर 237 रकबा 0.57 हैक्टेयर में से 0.26 + 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 के बंट में :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 694 रकबा 1.1900 हैक्टेयर में से रकबा 0.10 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

प्रतिवादीगण सख्या 3 ता 7 के बंट में :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 700 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से रकबा 0.04 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

प्रतिवादीगण सख्या 8 से 16 के बंट में :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 706 रकबा 1.86 हैक्टेयर में से रकबा 0.20 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

प्रतिवादीगण सख्या 17 के बंट में :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 237 रकबा 0.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.21 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार ,

3. यह है कि उपरोक्त वर्णित बंट के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 मौके पर काबिज है तथा अलग–अलग सिवे माठे कायम है मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है जिससे मुतनाजा खसरा का बंटवाड़ा बाई मिट एण्ड बाउण्डस करवाने के लिए वाद पेश है।

4. यह है कि मुतनाजा आराजी पर काश्त कब्जा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 सं 17 मौके पर काबिज है तथा अलग–अलग सिवे माठे कायम कर ली है एवं आराजी संयुक्त रूप से दर्ज हे इसलिए वादी घोषणा का वाद पेश कर घोषणा करवाने का अधिकारी है की वाद के पैरा संख्या 2 में वर्णित बंट की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 सं 17 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।

5. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 18 भूमिधारी होने से बंटवाड़ा का दावा में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादीगण संख्या 19 राजस्व रेकर्ड का संधारण करने से उसे प्रतिवादीगण बनाया गया है।

6. यह है कि वाद कारण कुछ दिनों पूर्व प्रतिवादीगण ने विवादित खसरा से वादी को बेदखल करने काश्त व कब्जा में बाधा व हस्तकक्षेप करने व अन्तरर्ण करने की धमकी दी व वादी के हक अधिकारों को चुनोति दी तब बेमुकाम ग्राम पादूखुर्द पैदा हुआ जो अदालत वाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

7. यह है कि मालियत दावा बगर्ज कोर्ट फीस समायत अख्यियार अदालत वाला के बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा निश्चित न्याय शुल्क स्टाम्प रूपये 2 की पेश है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

यह है कि इस्तदुआ यह है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरिके से सादिर फरमाये।

(क) यह है कि विवादित खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट एण्ड बाउण्डस किया जाकर मौजा पादूखुर्द की वाद में दर्शित खसरान का बंट वाद पत्र का पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 की काश्त कब्जासुद है।

(ख) मुतनाजा खसरा का बंटवाड़ा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के बताया अनुसार व जनरी नक्शा परिशिष्ठ क के दर्शित बाई मिट एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावे व अलग–अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावे व नक्शा में तरमिम किया जावे तथा बिगोड़ी की रकम अलग की जावे।

(ग) यह है कि अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो सादिर फरमाया जावे।

वादी ने वाद पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 8,9,10,11/2 से 11/5,13,14,15,16/1 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया। प्रमिवादीगण संख्या 1/1,1/2,3,6 के समन बाद तामिल प्राप्त हुए उनके विरूद्वा एक तरफा कायैवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 17 की ओर से वकील चेनाराम ने वकालतनामा पेश किया व भंवरीदेवी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का पेश किया जिन्हे बतोर प्रतिवादीगण संख्या 20 पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 17 के वकील ने ऑडर्र 7 रूल 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका जवाब वकील वादी ने पेश किय एवं रिपोर्ट तहसीलदार रियांबड़ी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो सामिल मिसल की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व राजस्व अभिलेखो का अध्ययन किया गया व अधिवक्तागण की बहस व राजीनामा एवं तहसीलदार रिपोर्ट पर मनन किया गया। वकिल प्रतिवादीगण संख्या 17 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का खारीज किया जाता है एवं वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार सादिर फरमाया जाता है कि मौजा पादुखर्द के खसरा नं. 694 रकबा 1.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 700 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 1.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.57 हैक्टेयर का बंटवाड़ा वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित अनुसार

वादी **ग्राम पंचायत पादूखुर्द की भूमि :–**

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 694 रकबा 1.1900 हैक्टेयर में से रकबा 1.09 हैक्टेयर

खसरा नम्बर 700 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से रकबा 0.20 हैक्टेयर,

खसरा नम्बर 706 रकबा 1.86 हैक्टेयर में से 1.66 हैक्टेयर,

वादी **ग्राम पंचायत पादूखुर्द की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 20 के सामलाती हिस्सा**

खसरा नम्बर 237 रकबा 0.57 हैक्टेयर में रकबा 0.36 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 के बंट में :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 694 रकबा 1.1900 हैक्टेयर में से रकबा 0.10 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

प्रतिवादीगण सख्या 3 ता 7 के बंट में :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 700 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से रकबा 0.04 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

प्रतिवादीगण सख्या 8 से 16 के बंट में :–

मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 706 रकबा 1.86 हैक्टेयर में से रकबा 0.20 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी।
जिला–नागौर

प्रतिवादीगण सख्या 17 के बंट में :–
मौजा पादूखुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 237 रकबा 0.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.21 हैक्टेयर नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार ,
कायम किया जाता है एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित बंटवाड़ा के माफिक राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खातेदारी इन्द्राज किया जावे व नक्शा में तरमिम किया जावे। व तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित बंटवाड़ा नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

माफिक निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबडी को आदेशित किया जाता है कि माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 12/09/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबडी

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर